निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं0 पटना 663) पटना, मंगलवार, 17 जुलाई 2018

सं० वि0(27)पे0को0(मु0)-68/2016-582
वित्त विभाग

संकल्प
17 जुलाई 2018

विषय :- दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण केसंबंध में।

CWJC No. 15607/2016- मो0 बदीउज्जमा खान बनाम बिहार राज्य तथा अन्य एनालोगस वादों में याचिकाकर्त्ताओं द्वारा जो राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं, यह मांग की गयी है कि उन्हें पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-38/37/08-P&PW(A), दिनांक 28.01.2013 के अनुरूप शिक्षा विभागीय संकल्प सं0 2374, दिनांक 29.07.2010 के आलोक में पुनरीक्षित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किया जाय।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु षष्टम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं0 820, दिनांक 23.09.2009 निर्गत किया गया था, जिसे शिक्षा विभागीय संकल्प सं0-1674, दिनांक 16.08.2012 द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों हेतु भी अंगीकृत किया गया है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या-820, दिनांक 23.09.2009 में उल्लिखित है कि ''पुनरीक्षित पेंशन किसी भी स्थिति में पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारम्भिक वेतन एवं ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा।'' भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक--38/37/08-P&PW(A), दिनांक 01.09.2008 में उल्लिखित है कि ''पुनरीक्षित पेंशन किसी भी स्थिति में पुनरीक्षित वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा।'' इस प्रकार राज्य सरकार एवं भारत सरकार के आदेश की शब्दावली में अन्तर है ।

पुनः भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 28.01.2013 जारी किया गया जिसके आलोक में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के केन्द्रीय पेंशनधारियों का न्यूनतम पेंशन वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.08.2008 के साथ संलग्न फिटमेंट सारणियों में दिया गया पे-बैण्ड एवं

ग्रेड-पे के योगफल के 50 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने का आदेश जारी किया गया । राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.01.2013 के अनुरूप राज्य कर्मियों को उक्त लाभ दिये जाने का मामला विचाराधीन था ।

3. CWJC No. 15607/2016- मो0 बदीउज्जमा खान एवं अन्य एनालोगस वादों में दिनांक 13.04.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार का सुविचारित नीतिगत निर्णय प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निदेश के आलोक में यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था। मामले के विभिन्न पहलूओं पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के राज्य सरकार के सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के संदर्भ में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-38/37/08-P&PW(A), दिनांक-28.01.2013 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 663-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in